श्री विजेन्द्र कुमार,अंचल अधिकारी, जयनगर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभिलेख संख्या–03/16–17 में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का अधिगम/मंतव्यः–

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
17.06.17	सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना का ज्ञापांक–416/नि0को0दिनांक–11.05.2017 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, जयनगर जिला मधुबनी के विरूद्ध गठित आरोप पर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी को जॉच में सहयोग करने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–754/जि0स्था0दिनांक–25.05.2017 द्वारा **श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर** को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री विजेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, जयनगर (आरोपी कर्मी) द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण दिया गया जिसपर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर द्वारा बिन्दुवार मंतव्य समर्पित किया गया, जो निम्न प्रकार हैः– **प्रपत्र–"क"में गठित आरोप संख्याः–01–** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय संकल्प संख्या–488(8)/रा0दिनांक–31.12.2014 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक–172 दिनांक 28.01.2015 द्वारा आपको भी संसूचित किया गया है। बिहार राज्य शहरी क्षेत्र (अनु0जाति/अनु0जन जाति) के वास रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति 2014 के कियान्वयन के संबंध में सर्वेक्षण कराया जाना था। इस संबंध में राजस्व विभागीय पत्रांक–813(8)/जि0रा0दिनांक–03.07.15 के द्वारा संशोधित अनुदेश इस कार्यालय के ज्ञापांक–1361/जि0रा0दिनांक 31.07.2015 के द्वारा आपको संसूचित किया गया है। अनु0जाति/अनु0जन जाति के सर्वेक्षण कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–68(5)रा0दिनांक 16.01.2015 से प्राप्त आवंटित राशि भी आपको इस कार्यालय के ज्ञापांक–298 दिनांक–11.02.2015 के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। आपके द्वारा राज्य शहरी क्षेत्र (अनु0जाति/अनु0जन जाति) के वास रहित परिवारों का सर्वेक्षण नहीं भेजे जाने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–363 दिनांक 20.02.2015, पत्रांक–566 दिनांक 25.3.15 पत्रांक–817 दिनांक–15.05.15, पत्रांक–1297 दिनांक–15.07.15, ज्ञापांक–2014 दिनांक 23.12.15 के द्वारा बार–बार स्मारित करने के बावजूद सर्वेक्षण सूची प्राप्त नहीं कराया गया। पुनः इस संबंध में दिनांक–20.08.15 को आयोजित बैठक में निदेश दिया गया था। इस प्रकार सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजना का अनदेखी कर उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना किया गया है। **आरोप संख्या–01 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–** अंचल कार्यालय, जयनगर में मेरे द्वारा दिनांक 13.05.2015 को योगदान दिया गया विभागीय संकल्प संख्या–448(8) रा. दिनांक–31.12.2014 ज्ञापांक–172 दिनांक–28.01.2015 विभागीय पत्रांक–68(5) रा. दिनांक–16.01.2015 ज्ञापांक–298 दिनांक–11.2.2015, पत्रांक 363 दिनांक–20.02.2015, पत्रांक–566 दिनांक–20.03.2015 मेरे योगदान देने के पूर्व से ही निर्गत पत्र है। मेरे योगदान देने के बाद मेरे द्वारा कार्यकाल में उपलब्ध कराये गये विभागीय पत्र तथा राजस्व समन्वय समिति की बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में निरंतर कार्य किया गया। ज्ञातव्य हो कि जिला राजस्व कार्यालय, मधुबनी के ज्ञापांक–1361/जि0रा0दिनांक–31.07.2015 के द्वारा पुनः संशोधित अनुदेश उपलब्ध कराया गया, तत्पश्चात् उपलब्ध संसाधनों के साथ पुनः अनु0जाति/जन जाति का सर्वेक्षण का कार्य किया गया।	

ज्ञातव्य हो कि विधान सभा आम चुनाव की घोषणा 09.09.2015 को हो गयी तथा उस तिथि से मतगणना की समाप्ति तक अधोहस्ताक्षरी की प्रतिनियुक्ति विभिन्न कोषांगों यथा–परिवहन प्रबंधन कोषांग, मूलभूत सुविधा कोषांग तथा कम्प्युटराईजेशन कोषांग में प्रतिनियक्ति की गयी थी।

सरकार द्वारा संचालित अनु0जाति एवं अनु0जन जाति के वास रहित परिवारों का सर्वेक्षण कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जयनगर से सूची प्राप्त कर कुल 14 वार्डो में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहन सर्वेक्षण किया गया ताकि सर्वेक्षण के दौरान अनु0जाति एवं अनु0जन जाति कोई वासरहित परिवार छुटे नहीं गहन रूप से सर्वेक्षण करने के उपरांत 851 परिवारों में से 86 परिवार वासरहित पाये गये जिसका सर्वेक्षण सूची पत्र संख्या–183 दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से अपर समाहर्ता महोदय को 27.01.2016 को समर्पित किया गया।

मेरे द्वारा इस योजना की न तो अनदेखी की गई है और न ही उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है बल्कि पूर्व से लंबित इस योजना को पूर्ण किया गया है। मैंने पुरी तत्परता के साथ सर्वेक्षण सूची उपलब्ध कराया है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–01 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्यः–

अंचल अधिकारी, जयनगर ने अपने स्पष्टीकरण में बताया है कि उन्होंने दिनांक–13.05.2015 को योगदान दिया। योगदान तिथि के बाद तीन स्मार पत्र प्राप्त हुए हैं। उनका यह भी कहना हे कि विधान सभा चुनाव की घोषणा के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति विभिन्न कोषांगों में की गई थी। इस वजह से जनवरी 2016 में सर्वेक्षण सूची समर्पित किया गया।

चूँकि अंचल अधिकारी के पद पर इनका प्रथम पदस्थापन है साथ ही निर्वाचन की घोषणा के बाद निर्वाचन दायित्व निर्वहन का उल्लेख किया गया है अतः इनके स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–01 पर अधिगमः–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोप संख्या–01 प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–02:–

आपके द्वारा अपने पत्रांक–149 दिनांक–21.01.2016 के द्वारा नगर पंचायत के शहरी क्षेत्र में अनु0जाति/अनु0जनजाति वास रहित परिवारों का सर्वेक्षण करने से संबंधित तत्काल दस वार्ड का कुल 12 परिवार का प्रतिवेदन दिया गया है जिसके साथ चिन्हित परिवारों की सूची नहीं दी गयी है जो भ्रामक प्रतिवेदन है।

आरोप संख्या–02 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–

जिला राजस्व कार्यालय मधुबनी से दूरभाष पर निदेश प्राप्त हुआ कि तत्काल शहरी क्षेत्र के वासरहित अनु0जाति एवं अनु0जन जाति के संख्या से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया जाय। सूची की मांग दूरभाष पर नहीं की गई थी। प्राप्त निदेश के आलोक में ही बिना विलम्ब किये तत्काल उपलबध प्रतिवेदन जिला कार्यालय में समर्पित किया गया जो भ्रामक प्रतिवेदन नहीं था बल्कि वास्तविकता पर आधारित प्रतिवेदन था।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–02 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्यः–

स्वीकार किया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–02 पर अधिगमः–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोप संख्या–02 प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–03:–

आपका पत्रांक–148 दिनांक–20.01.2016 के द्वारा नगर पंचायत जयनगर शहरी क्षेत्र अनु0जाति/अनु0जन जाति का सर्वेक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति जिसमें सर्वेक्षित परिवारों की संख्या प्रतिवेदित नहीं किया गया है, सर्वेक्षण सूची त्रुटिपूर्ण भ्रामक एवं हस्ताक्षरित नहीं है जो लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।

आरोप संख्या–03 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण:–

पत्र संख्या–148 दिनांक–20.01.2016 को नही बल्कि 21.01.2016 को निर्गत है तथा हस्ताक्षरित है। भूलवश सूची में हस्ताक्षर नहीं हो पाया।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–03 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य:–

अंचल अधिकारी ने सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर न करना स्वीकार किया है। इस विषय में लापरवाही किया गया है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर के मंतव्य पर आरोपी कर्मी का आपत्ति:–

आरोप संख्या–03 पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य पर मेरा आपत्ति है कि मैंने सूची पर हस्ताक्षर करने में कोई लापरवाही नहीं की थी क्योंकि मूल पत्र पर मेरा हस्ताक्षर है किन्तु भूलवश सूची पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया। जानबूझ कर मेरे द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गयी थी इसे मात्र मानवीय भूल माना जाना चाहिए।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–03 पर अधिगम:–

आरोपी कर्मी ने अपने आपत्ति आवेदन में इसे मानवीय भूलवश सूची में हस्ताक्षर नहीं होने का जिक्र किया है, जिसके आधार पर आरोप संख्या–03 प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–04:–

अनु0जाति/अनु0जनजाति का सर्वेक्षण नहीं किये जाने के कारण उप समाहर्ता, भूमि सुधार, जयनगर के द्वारा दिनांक–22.01.2016 को आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुशंसा प्रतिवेदित किया है।

आरोप संख्या–04 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण:–

इस संदर्भ में सादरपूर्वक कहना है कि शहरी क्षेत्र में अनु0जाति/जन जाति सर्वेक्षण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर से लगातार संपर्क में रहकर उनके मार्ग–दर्शन में ही सर्वेक्षण कार्य किया गया तथा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होते ही वासरहित परिवारों की सूची पत्र संख्या–183 दिनांक–27.01.2016 के माध्यम से अपर समाहर्ता महोदय को दिनांक–27.01.2016 को समर्पित कर दिया गया।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–04 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य:–

तथ्य है। अतः मंतव्य आवश्यक नहीं है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–04 पर अधिगम:–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोप संख्या–04 प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–05:–

महादलित विकास योजनान्तर्गत अभियान बसेरा का सर्वेक्षण वितरण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में आपके द्वारा माह दिसम्बर 2015 तक कुल सर्वेक्षण संख्या–39 है जिसके विरूद्ध वितरण मात्र–6 दिखाया गया है। जिला राजस्व शाखा मधुबनी के पत्रांक–2066/जि0रा0दिनांक–23.09.2014, पत्रांक–2374 दिनांक–21.11.2014 पत्रांक–2587 दिनांक–23.12.2014, पत्रांक–2604 दिनांक–29.12.2014, पत्रांक–134 दिनांक–21.01.15, पत्रांक–423 दिनांक–02.03.2015, पत्रांक–772 दिनांक–30.04.2015, पत्रांक–1662 दिनांक–23.09.2015 के द्वारा सर्वेक्षण एवं वितरण में तेजी लाने

एवं प्रतिवेदन भेजने हेतु स्मारित किया गया है, जिसके साथ प्रत्येक जिला राजस्व बैठक में भी निदेशित किया गया है परन्तु आपके द्वारा मात्र 39 परिवार का सर्वेक्षण के विरूद्ध अद्यतन 6 परिवारों को भूमि वितरण का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। दिनांक–09.09.2015, 23.12.2015, 22.01.16 को आयोजित राजस्व बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–1641 दिनांक–08.09.15, ज्ञापांक–256 दिनांक–4.2.16 एवं ज्ञापाक 72 दिनांक 7.2.16 की प्रति आपको भेजी गयी है। इस प्रकार सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वाकांक्षी योजना का अवहेलना एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।

आरोप संख्या–05 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–

अंचल कार्यालय, जयनगर में मेरे द्वारा दिनांक–13.05.2015 को योगदान दिया गया। जिला राजस्व शाखा मधुबनी के पत्रांक–2066/जि0रा0दिनांक–23.09.2014, पत्रांक–2374 दिनांक–21.11.2014 पत्रांक–2587 दिनांक–23.12.2014 पत्राक–2604 दिनांक–29.12.2014 पत्रांक–134 दिनांक–21.01.2015 पत्रांक–423 दिनांक–02.03.2015 पत्रांक–772 दिनांक–30.04.2015 मेरे योगदान देने से पूर्व निर्गत पत्र है।

महादलित विकास योजना के तहत अभियान बसेरा को सफल बनाने के लिए मेरे द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया गया तथा सर्वेक्षणोपरांत कुल 39 परिवारों का प्रतिवेदन ससमय जिला राजस्व कार्यालय, मधुबनी को उपलब्ध करा दिया गया है तथा प्रत्येक माह के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया है। जहॉ तक भूमि उपलब्ध कराने का प्रश्न है, मेरे द्वारा 12 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराकर मासिक प्रगति प्रतिवेदन में समय–समय पर प्रतिवेदित किय गया है तथा शेष परिवारों के भूमि बंदोवस्ती के लिए कार्यालय के पत्र संख्या–1504 दिनांक 26.08.2015, पत्र संख्या–04 दिनांक–04.01.2016 पत्र संख्या–05 दिनांक–04.01.2016 पत्र संख्या–07 दिनांक–04.01.2016, पत्र संख्या–378 दिनांक–04.03.2017 के माध्यम से भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर/अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को अभिलेख संधारित कर भेजा गया था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार की इस योजना को सफल बनाने में मेरे स्तर से कोई शिथिलता या लपरवाही नहीं की गयी है और न ही कोई आदेश का अवहेलना मेरे द्वारा की गयी है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–05 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्यः–

अंचल अधिकारी, जयनगर द्वारा भूमि बंदोवस्ती का प्रस्ताव अनुमडल कार्यालय को भेजा गया था। परन्तु जो भूमि का प्रस्ताव दिया गया था, वह भूमि जल श्रोत अथवा भिण्डा की थी। जिसके कारण बंदोवस्ती नहीं कर अभिलेख वापस कर दिया गया था।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर के मंतव्य पर आरोपी कर्मी का आपत्तिः–

मैंने ससमय बंदोवस्ती का प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–1504 दिनांक 26.08.2015, पत्रांक–04 दिनांक–04.01.2016, पत्रांक–05 दिनांक–04.01.2016 के माध्यम से बंदोवस्ती हेतु अनुमंडल कार्यालय, जयनगर को भेजा था, उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जल स्त्रोत अथवा भिंडा की बंदोवस्ती नहीं की जानी है। विभागीय पत्रांक–06/खा0म0पटना (नीति)–03/2016, 655(6)/रा0 दिनांक–16.06.2016 के माध्यम से जल स्त्रोत अथवा भिण्डा की भूमि को अभियान बसेरा के तहत बंदोवस्ती पर रोक लगायी गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार की इस योजना को सफल बनाने में मेरे स्तर से कोई शिथिलता या लापरवाही नहीं की गयी है और न ही कोई आदेश की अवहेलना मेरे द्वारा की गयी है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–05 पर अधिगमः–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के आपत्ति आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्यों के आधार पर आरोप संख्या–05 प्रमाणित नहीं पाया

गया।

आरोप संख्या–06:–

ऑपरेशन दखल दिहानी हेतु सरकार से समय समय पर प्राप्त आदेश/निदेश के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–2119/जि0रा0दिनांक 10.10.14, पत्रांक–2263/जि0रा0दिनांक–03.11.14,पत्रांक–2369/जि0रा0दिनांक–21.11.2014,पत्रांक 330/मु0जि0रा0दिनांक–25.11.14 आपके द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी का प्रपत्र–1 में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–2540/जि0रा0दिनांक–19.12.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके संबंध में आपके द्वारा कोई प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया। पत्रांक–639 दिनांक–09.04.2015, पत्रांक–777 दिनांक–15.4.2015, पत्रांक–1273 दिनांक–09.07.2015 के द्वारा आपको भेजा गया है। माह दिसम्बर के प्रतिवेदन में समीक्षोपरान्त पाया गया कि ऑपरेशन दखल दिहानी का प्रपत्र–1 में गैर मजरूआ मालिक 1940 गैर मजरूआ आम–954, अधिशेष भूमि–1013, बासगीत पर्चा–11, कय नीति–26 भूदान–974, वितरित पर्चा का कुल लक्ष्य–4818 के विरूद्ध आपके द्वारा गैर मजरूआ मालिक–724, गैर मजरूआ आम–554, अधिशेष भूमि–981, बासगीत पर्चा–378 कय नीति–26 एवं भूदान–909 कुल–3572 प्रपत्र–2 में दखल 2803 बेदखल में–764 प्रपत्र–3 में दखल दिलाये गये 366 अवशेष–498 पर्चाधारियों को अभी भी आपके द्वारा दखल नहीं दिलाया गया है जो आदेश अवहेलना एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।

आरोप संख्या–06 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–

अंचल कार्यालय, जयनगर में मेरे द्वारा दिनांक–13.05.2015 को योगदान दिया गया जिला रास्व कार्यालय का पत्रांक–2119/जि0रा0दिनांक–10.10.2014 पत्रांक 2263/जि0रा0दिनांक–03.11.2014 पत्रांक–2369/जि0रा0दिनांक–21.11.2014 पत्रांक–330/मु0जि0रा0दिनांक–25.11.2014 पत्र संख्या–2540 दिनांक–19.12.2014 पत्रांक–639 दिनांक–09.04.2015 मेरे योगदान देने के पूर्व से ही निर्गत पत्र है जिसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं थी।

केवल पत्र संख्या–1273 दिनांक 09.07.2015 मेरे कार्यकाल में निर्गत पत्र है जिसके आलोक में ऑपरेशन दखल देहानी के तहत प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 तैयार किये गए जिसमें प्रपत्र–1 में 3572, प्रपत्र–2 में 2808 तथा प्रपत्र–3 में 764 पर्चाधारी पाए गए इस प्रकार दखल देहानी के निमित जयनगर अंचल अंतर्गत गैर मजरूआ आम/गैर0 खास/भू–हदबंदी /वासगीत पर्चा/कय नीति/ के तहत कुल 764 पर्चाधारी बेदखल पाये गये थे, जिसके विरूद्ध जिला स्तरीय पदाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में 719 पर्चाधारियों को दखल दिलाया गया शेष 45 पर्चाधारियों की भूमि विवादग्रस्त/नदी/नहर इत्यादि की भूमि होने के कारण राजस्व समन्वय समिति की विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेश के आलोक में राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया गया एवं ससमय मासिक प्रगति प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार की इस योजना को सफल बनाने में मेरे स्तर से कोई शिथिलता या लापरवाही नहीं की गयी है और न ही कोई आदेश का अवहेलना मेरे द्वारा की गयी है। बल्कि एक जिम्मेवार पदाधिकारी के रूप में कार्य किया गया है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–06 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्यः–

स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–06 पर अधिगमः–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोप संख्या–06 प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–07:–

अप्रील श्रेणी सैरात वर्ष 2014–15 विभागीय वसूली सुरक्षित जमा के अनुरूप नहीं किये जाने के संबंध में कार्यालय के पत्रांक–484/जि0रा0दिनांक–10.03.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

आरोप संख्या–07 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–

अंचल कार्यालय, जयनगर में मेरे द्वारा दिनांक 13.05.2015 को योगदान दिया गया जिसे वित्तीय वर्ष के रूप में वर्ष 2015–16 की संज्ञा दी जा सकती है जबकि यह मामला वित्तीय वर्ष 2014–15 का है जो मेरे कार्यकाल का नहीं है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–07पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्यः–

स्वीकार योग्य है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–07पर अधिगमः–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोप संख्या–07 प्रमाणित नहीं पाया गया।

आरोप संख्या–08:–

सरकार के अवर सचिव, गृह(विशेष) विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–स्टेटस/नेपाल–09/2014–6039– दिनांक–19.05.2015 द्वारा भारत से नेपाल (जयनगर–वर्दीवास) निर्माणाधीन रेल मार्ग के जयनगर (मधुबनी) बिहार में रेलवे स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु लीज पर ली गयी 29 बिगहा जमीन पर वहॉ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा घर झोपड़ी इत्यादि बनाकर अतिक्रमण करने संबंधित प्राप्त सूचना के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी द्वारा पत्र संख्या–587/जि0भू0दिनांक–22.05.2015 के माध्यम से भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर एवं आपको आवश्यक कार्रवाई करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही उक्त पत्र की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी जयनगर को भी प्रेषित करते हुये अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उनसे भी अनुरोध किया गया था।

प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण खाली कराये जाने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को समाहर्ता,मधुबनी द्वारा पुनः पत्र संख्या–54मु0/जि0भू0अ0दिनांक–29.07.2015 एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा स्मार पत्र संख्या–937/जि0अ0 दिनांक–22.12.2015 पत्र संख्या–147/भू0अ0दिनांक–24.02.2016 एवं पत्र संख्या–252/भू0अ0दिनांक–28.03.2016 के माध्यम से स्मारित करने के बाद भी आपके द्वारा अतिक्रमण खाली कराये जाने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन समाहर्ता मधुबनी को उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप जिला स्तर से अतिक्रमण खाली कराये जाने की सूचना गृह (विशेष) विभाग, बिहार पटना को भेजा नहीं जा सका।

उपरोक्त कृत से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है बल्कि आपकी लापरवाही से सरकार के इतनी महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा भी उत्पन्न हुयी है जिसके लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

आरोप संख्या–08 पर आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–

इस संदर्भ में सादर पूर्वक कहना है कि भारत–नेपाल (जयनगर–बर्दीवास) निर्माणाधीन रेल मार्ग के जयनगर में रेलवे स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु लीज पर ली गयी 29 बिगहा जमीन पर वहॉ के स्थानीय नागरिकों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्मित किये गये घर, झोपड़ी को खाली कराये जाने से संबंधित पत्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के पत्र संख्या–527/जि0भू0दिनांक–22.07.2015 के माध्यम से प्राप्त कराया

गया। अंचल कार्यालय, जयनगर में पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिकता के आधार पर दिनांक–08.08.2015 को अतिक्रमण वाद प्रारम्भ कर अतिक्रमणकारियों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से की गयी।

दिनांक– 16.09.2015 को राजस्व कर्मचारी से अतिक्रमणकारियों की सूची प्राप्त होने के आलोक में विधिवत् दिनांक–21.09.2015 को सभी संबंधित अतिक्रमणकारियों को भारत–नेपाल (जयनगर–वर्दीवास)निर्माणाधीन रेलमार्ग के जयनगर में रेलवे स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु लीज पर ली गयी 29 बिगहा जमीन पर वहॉ के स्थानीय नागरिकों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्मित किये गये घर, झोपड़ी को खाली करने का नोटिस दिया गया। परन्तु प्रथम सूचना के बाद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली नहीं किये जाने पर पुनः संबंधित अतिक्रमणकारियों को दिनाक 08.10.2015, 12.10.2015 एवं 20.10.2015 को सूचना निर्गत की गयी। परन्तु अतिक्रमणरियों के द्वारा सूचना लेने से इनकार किया जाता रहा। तत्पश्चात् नियमानुसार सूचना को सार्वजनिक स्थान यथाः चौक चौराहे पर चिपकाया, टांगा गया। बार–बार सूचना निर्गत करने के उपरान्त अतिक्रमित भूमि को खाली नहीं किये जाने की स्थिति में अतिक्रमित भूमि को खाली कराने हेतु पत्र संख्या–6/मु0दिनांक 22.02.2016 के द्वारा सशस्त्र बल, लाठी बल की प्रतिनियुक्ति करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से अनुरोध किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि सशस्त्र बल एवं लाठी बल की प्रतिनियुक्ति के संबंध में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर से वार्ता हुयी। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,जयनगर द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव 2016 के मद्येनजर बल उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। पंचायत चुनाव के पश्चात् बल उपलबध करा दिया जायेगा।

ज्ञातव्य हो कि विधान सभा आम चुनाव की घोषणा दिनांक 09.09.2015 को हो गयी तथा उस तिथि से मतगणना की समाप्ति तक बल की अनुपलब्धता एवं अधोहस्ताक्षरी की प्रतिनियुक्ति विभिन्न कोषागों यथा–परिवहन प्रबंधन कोषांग, मूल भूत सुविधा कोषांग तथा कम्प्यूटराईजेशन कोषांग में प्रतिनियुक्ति की गयी थी। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव कुल–10 चरणों में सम्पन्न हुआ था, जिसमें अधोहस्ताक्षरी की प्रतिनियुक्ति अलग–अलग प्रखण्डों में दण्डाधिकारी के रूप में थी।

विधान सभा चुनाव एवं पचायत चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद दिनांक 01.07.2017 को उपलब्ध पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमित भूमि को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा खाली करा दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मेरे द्वारा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही नहीं बरती गयी है। जहॉ तक ससमय अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का प्रश्न है, इस संदर्भ में सादर पूर्वक कहना है कि विधान सभा निर्वाचन 2015 तथा पंचायत निर्वाचन 2016 के क्रम में अतिव्यस्तता एवं बल की अनुपलब्धता के कारण उक्त अतिक्रमण को हटाने में विलम्ब हुआ। मेरे द्वारा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में कहीं भी लापरवाही नहीं बरती गयी है, बल्कि एक जिम्मेवार पदाधिकरी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुये उचित कार्रवाई की जाती रही है एवं कई वर्षो से लंबित (2013 से) जटील मामले का निष्पादन मेरे द्वारा किया गया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर मेरे उपर लगाये गये आरोपों से मुक्त करने की कृपा की जाय।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का आरोप संख्या–08 पर आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर मंतव्यः–

अंचल अधिकारी, जयनगर द्वारा जुलाई 2015 में पत्र प्राप्ति करने के बाद अतिक्रमण जुलाई 2016 में हटाया गयां एक वर्ष में अतिक्रमण खाली कराना अक्षम्य है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त पुलिस बल की अनुलब्धता संबंधी विषय पर इनके स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी का आरोप संख्या–08 पर अधिगमः–

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर से प्राप्त मंतव्य एवं आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण में संलग्न साक्ष्यों के आधार पर आरोप संख्या–08 प्रमाणित नहीं पाया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–

आरोपी कर्मी के विरूद्ध **प्रपत्र–"क"** में गठित आरोप, आरोपी कर्मी द्वारा आरोपों का खण्डन करते हुये दिये गये स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर द्वारा आरोपवार दिये गये मंतव्य एवं आरोपी कर्मी द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य पर दिये गये आपत्ति/सहमति आवेदन का अवलोकन एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन एवं परिसिलन किया। परिसिलन के उपरान्त पाया कि श्री विजेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, जयनगर के पद पर नव–पदस्थापित हैं। विभागीय मार्ग–निर्देशों का पालन इनके द्वारा किया जा रहा है। प्रपत्र–"क" में गठित कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

अधिगम/जॉच प्रतिवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को मूल अभिलेख के साथ भेजें।

लेखापित

17/6/17

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी।

17/6/17

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी।